न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या 05/2017 प्रार्थना पत्र विविध

श्रीमती सबनम बेगम पत्नि श्री उसमान गनी, निवासी धोली बावड़ी, पार्क के पास, उदयपुर (राज.)

——— **अपीलार्थी**

बनाम

सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

——— **विपक्षी**

अपील अन्तर्गत धारा 11 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा पारित्यकता एव तलाकशुदा पेंशन नियम 2013

उपस्थित : 1. श्री हरीश पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 10.04.18

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 11 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा पारित्यकता एव तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि झुठी शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी जो बंद कर दी गई हैं एवं जो पूर्व में अपीलार्थीया द्वारा पेंशन प्राप्त की गई उसे पुनः वसुल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जबकि अपीलान्ट की चार संताने दो लड़के व दो छोटी लड़किया हैं। बड़े लड़के का चाल चलन ठिक नहीं होने से परिवार से लड़ाई झगड़ा कर अपनी पत्नि के साथ लगभग 18 वर्ष पूर्व मल्लातलाई उदयपुर में रहता है जो अपीलान्ट के मकान से 7 किलोमीटर दूर हैं। जिसके द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती हैं। दूसरा लड़का इमरान गनी जो प्रार्थी के पैतृक मकान में अलग रहता है तथा उसकी पत्नि व दो

बच्चीयो के साथ गुजर बसर कर रहा हैं। जिसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्यो का ध्यान रखा जाता हैं। जिसका राशन कार्ड भी अलग बना हुआ हैं। अपीलान्ट की बड़ी बच्ची अपाहिज हैं। जो अविवाहित होकर अपीलान्ट के साथ ही रहती हैं तथा अपीलान्ट की छोटी लड़की शकिला बानो का विवाह लगभग 8 वर्ष पूर्व मुस्लिम रिती रिवाज से सम्पन्न हुआ। उसके ससुराल पक्ष का परिवार मुल निवास बिहार का रहने वाला होकर नयी दिल्ली में रहता हैं। दामाद अजीर्जू रहमान व अपीलान्ट के परिवार के मध्य झगड़ा चल रहा हैं। जिसके द्वारा अपीलान्ट को आर्थिक सामाजिक व मानसिक क्षति पहुॅचाने का कार्य किया जाता रहा हैं। जिसका द्वारा शिकायत की गई। शिकायत पर नगर निगम उदयपुर में कार्यरत कर्मचारीयो से सांठ गांठ कर अपीलान्ट को उस्मान खान पठान जो सेवानिवृत कर्मचारी होकर पर्चा मौका बनाया। जिस पर धोखे से इबारत लिखते हुए गलत आश्वासन देकर अपीलान्ट से हस्ताक्षर करवा लिये जबकि अपीलान्ट के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा बड़े कल कारखाने में सेवारत नहीं हैं। अपीलान्ट के पास कोई आय का साधन नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा नगर निगम व उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के पत्रो का जवाब भी समय समय दे दिया गया। उसके उपरान्त भी पेंशन बन्द करते हुए रिकवरी राशि निकाली गई हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 16.08.16 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी काफी गरीब व्यक्ति हैं। अपीलार्थी के दामाद द्वारा झुठी शिकायत की गई। जिसके आधार पर पेंशन बन्द करते हुए प्राप्त पेंशन

की रिकवरी निकाली गई हैं। जबकि अपीलान्ट की एक पुत्री अपंग हैं। जो अविवाहीत होकर जिसका लालन पालन भी अपीलार्थी द्वारा ही किया जा रहा हैं। एक पुत्री की शादी नई दिल्ली स्थित शिकायतकर्ता से करवायी गई। जिससे भी रिश्ते अच्छे नहीं होकर उस पुत्री का भी पूर्ण उत्तरदायित्व अपीलार्थी का ही हैं। अपीलार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी राशि व बन्द की गई पेंशन न्यायोचित नहीं हैं। क्योंकि सारी कार्यवाही झूठी शिकायत पर की गई हैं। शिकायत की जॉच भी तटस्थ भाव से नहीं की गई हैं। पुनः तटस्थ भाव से जॉच हेतु निवेदन किये जाने पर पुनः जॉच तहसील गिर्वा के पटवारी से करवायी गई जिसमें उसके द्वारा कोई किसी प्रकार की कोई आय नहीं होना बताया गया। अपीलार्थीया के पति का भी दिनांक 18.02.18 को स्वर्गवास हो चुका हैं। वर्तमान में अपीलार्थीया विधवा हैं जिस पर पुरे घर की जिम्मेदारी हैं। ऐसी अवस्था में निकाली गई बकाया राशि 19,000/– को माफ किया जाकर नये सीरे से जॉच करवाकर यदि अपीलार्थीया विधवा पेंशन की हकदार हो तो दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा बताया गया कि अपीलार्थीया के दो पुत्र हैं। दोनो पुत्र वयस्क होकर दोनो पुत्रो द्वारा अपने संसाधनो से कमाते धमाते हैं। छोटा पुत्र छोटी मोटी ठेकेदारी का भी कार्य करता हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हैं। स्वयं का मकान हैं। इनके घर का दायित्व इनके छोटे पुत्र इमरान गनी का हैं जो कन्स्ट्रक्शन के नाम से ठेकेदारी का कार्य करता हैं। जिसकी मासिक आय 20000/– रूपये महिना हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उचित हैं। जिससे अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थीयॉ वर्तमान में विधवा हैं। उसके पति श्री उस्मान गनी का

स्वर्गवास दिनांक 18.02.18 को हो गया हैं। एक पुत्री भी इनकी अपंग व अपाहिज हैं। दूसरी पुत्री भी अपने पति से अलग रहकर इनके पास ही हैं। वर्तमान में दो पुत्रियो का दायित्व भी इनके उपर हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत पर जॉच कर निकाली गई रिकवरी राशि उचित प्रतित नहीं होती हैं। क्योंकि रेवेन्यू पटवारी द्वारा की गई जॉच में भी इनके स्थायी आय का कोई संसाधन नहीं बताया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि जो रिकवरी राशि अपीलार्थीयॉ से पुनः वसूली हेतु निकाली गई है उस आदेश को अपास्त किया जाता हैं एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थीयॉ वर्तमान में विधवा हैं। ऐसी स्थिति में नये सीरे से पुनः जॉच करायी जाकर यदि अपीलार्थीया विधवा पेंशन की पात्रता रखती हो तो उसे विधवा पेंशन का परिलाभ नियमानुसार दिलाया जावें।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर